न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 13/2020

आर.सी.एम.एस. : 2020/00245

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. मूमल कंवर पुत्री भीमसिंह (पत्नि मुकनसिंह) जाति राजपूत निवासी ग्राम खिवान्दी तहसील सुमेरपुर जिला पाली 2. शोभाकंवर पुत्री भीमसिंह (पत्नि अनोपसिंह) जाति राजपूत निवासी ग्राम जाणा तहसील सुमेरपुर जिला पाली		1. थानसिंह पुत्र भीमसिंह 2. हरिसिंह पुत्र भीमसिंह 3. दलपतसिंह पुत्र भीमसिंह 4. किशोरसिंह उर्फ शैतानसिंह पुत्र भीमसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण ग्राम वरकाणा तहसील रानी जिला पाली (राज.) 5. सुरजकंवर पुत्री भीमसिंह (पत्नि बख्तावरसिंह) जाति राजपूत निवासी ग्राम नोवी तहसील सुमेरपुर जिला पाली 6. लाडुकंवर पुत्री भीमसिंह (पत्नि कंवरसिंह) जाति राजपूत निवासी ग्राम चवरली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानी तहसील रानी जिला पाली 8. नायब तहसीलदार देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना

रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री नौरतन चौहान

रेस्पोडेण्ट संख्या 8 अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16.12.21

अपीलाण्टगण की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत ग्राम वरकाणा के नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 16.12.1988 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 बाद तामील नोटिस के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध

अति० जिला कलक्टर, पाली

एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर, अधिवक्ता अपीलाण्टगण एवं अधिवक्ता रेसपोडेण्ट संख्या 2 से 6 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टगण ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम वरकाणा पटवार हल्का वरकाणा तहसील रानी की सरहद में खसरा नम्बर 681/3 रकबा 0.0900 है., खसरा नम्बर 682 रकबा 1.7800 है., खसरा नम्बर 682/766 रकबा 0.0300 है., खसरा नम्बर 683 रकबा 0.0300 है., खसरा नम्बर 684 रकबा 0.0944 है., खसरा नम्बर 685 रकबा 0.0500 है. खसरा नम्बर 687/3 रकबा 0350 है. एवं खसरा नम्बर 688/4 रकबा 0.1094 है. कुल खसरे 8 कुल रकबा 2.2278 एवं खसरा नम्बर 661 रकबा 0.1900 है., खसरा नम्बर 681/1 रकबा 0.0132 है., खसरा नम्बर 684/1 रकबा 0.0056 है., खसरा नम्बर 68721 रकबा 0.0480 है., खसरा नम्बर 688/1 रकबा 0.0840 है कुल खसरे 5 कुल रकबा 0.3408 है. तथा खसरा नम्बर 215 रकबा 0.1000 है., खसरा नम्बर 218 रकबा 0.4000, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.7700 है., खसरा नम्बर 220 रकबा 0. 7100 है., खसरा नम्बर 221 रकबा 0.2600 है. व खसरा नम्बर 222 रकबा 0.5000 है, कुल खसरे 6, कुल रकबा 2.7400 है. है। समस्त खसरे 19 कुल रकबा 5.3086 हैक्टेयर की कृषि भूमि अपीलाण्टगण एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 6 के पिता भीमसिंह पुत्र मेघसिंह राजपूत की सहखातेदारी भूमि स्थित थी। अपीलाण्टगण के पिता की मृत्यु के वक्त अपीलाण्टगण के अलावा उनकी माता छगनकंवर, उनके भाई थानसिंह, हरिसिंह, दलपतसिंह एवं शैतानसिंह(उर्फ किशोरसिंह) एवं उनकी बहनें सुरजकंवर एवं लाडुकंवर जीवित थे। अपीलाण्टगण के पिता की मृत्यु पश्चात उनका फौतेदगी नामान्तरकरण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उनके विधिक वारिशान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन हल्का पटवारी ने भीमसिंह के विधिक वारिशान की जांच किए बिना, उन्हें नोटिस दिए बिना, सुनवाई का अवसर दिए बिना ही नामान्तरकरण दर्ज कर दिया, जिसमें अपीलाण्टगण को छोड़कर अपीलाण्टगण की माता एवं उनके चार भाई तथा दो बहनों के नाम दर्ज किया गया है। जो प्रथम दृष्टया काबिल निरस्त है। दिनांक 23.07.2020 को अपीलाण्टगण ग्राम वरकाणा में स्थित पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि पर देख–रेख करने गयी, तो वहां पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 थानसिंह कुछ अजनबी व्यक्तियों के साथ आया तथा जमीन को बेचाण करने बाबत कथन करने लगा, तो अपीलाण्टगण ने पहले नाप–चौक करने का कहा तो थानसिंह ने कहा की तुम्हारा उक्त भूमि कोई अधिकार ही नहीं है। तब अपीलाण्टगण ने दिनांक 24.07.2020 को नामान्तरकरण संख्या 15 की प्रति पटवारी हल्का से प्राप्त की ओर अपना नाम नामान्तरकरण में नहीं होना पाया तो, बिना किसी प्रकार देरी किए अपील न्यायालय में पेश की, विधि विरूद्ध एवं Ab initio void नामान्तरकरण को निरस्त करने के लिये म्याद का बिन्दु आड़े नहीं आता है, अतः अपील अपीलाण्ट जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरवाया जावें, जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त करावें। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने तथ्यों की ताईद में न्यायिक दृष्टान्त यथा 2011(1) RRT page 432, 2013(2) RRT page 1284, 2013(2) RRT page 766, 2012(1) RRT page 350(sc), 2002 RBJ page 108, 1989 RRD page 45, 1994 RRD page 216 and 1994 RRD page 606 पेश किए।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 6 ने वक्त बहस कथन किया कि उनके और अपीलाण्टगण के मध्य राजीनामा हो चूका है तथा जैर अपील नामान्तरकरण संख्या

अति० जिला कलेक्टर, पाली

14 को निरस्त किया जाकर, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पुनः विधिनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा वे इस संबंध में सहमत है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली व मूल नामान्तरकरण का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 1988 में दर्ज किया गया है, लेकिन इससे अपीलाण्टगण के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाने से अपील अपीलाण्ट को जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। इस संबंध अधिवक्ता अपीलाण्ट ने RRD 1989 Page 45 लुमाराम बनाम स्टेट में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि "Rajasthan Land Revenue Act, Section 75-Order which is viod ab initio can be challenged at any time-Appeal filed after more than 18 years but immediately after knowledge, is not barred." and 2013(2) RRT page 1284 मांडीदेवी बनाम प्रहलाद में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त की प्रति प्रस्तुत की; जिसमें अभिनिर्धारित किया कि "Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Sec. 84 -Land not mutated in the name of the daughters of deceased 'B' Appeal filed by the daughters was dismissed-Daughters ate the heirs of Ist category & cannot be left arbitrarily - In such ex-parte order, limitation is not material-Petitioners cannot be compelled to file the suit for declaration-Sale of land is enforceable to the extent of 1/2 share of sons of deceased 'B'-Held Order set aside." जो पूर्णतया हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होता है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 6 ने राजीनामा पेश किया है, लेकिन कोई भी प्रकरण जरिये राजीनामे से उसी समय निस्तारित किया जा सकता है, जब सभी पक्षकार सहमत हो, लेकिन हस्तगत प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत राजीनामें से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की सहमती नहीं है। इस कारण अपील अपीलाण्ट का जरिये राजीन्नामे से निस्तारण नहीं किया जाकर, गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलाण्टगण के पिता भीमसिंह पुत्र मेघसिंह के देहान्त के वक्त अपीलाण्टगण के अलावा उनकी माता छगनकंवर, दो बहनें रेस्पोडेण्ट संख्या 5 व 6 सुरजकंवर, लाडुकंवर एवं चार भाई रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 क्रमशः थानसिंह, हरिसिंह, दलपतसिंह व किशोरसिंह जीवित थे, लेकिन भीमसिंह का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किया गया, तब अपीलाण्टगण के अलावा बाकी सभी के नाम दर्ज किया गया। जिसकी ताईद मूल नामान्तरकरण से होती है। हल्का पटवारी द्वारा किसी भी व्यक्ति का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किए जाने से पूर्व उसके समस्त विधिक वारिशान की जांच करनी चाहिए, उनको सुनवाई एवं साक्ष्य–सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए, उसके पश्चात ही किसी व्यक्ति का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किए जाने के विधि में आज्ञापक प्रावधान है, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा ऐसा किया जाना प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध अधिवक्ता अपीलाण्ट RRT 2011(1) page 432 सज्जन कंवर बनाम उच्छब कंवर में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें अभिनिर्धारित किया कि " The daughters are entitled to succeed to the lands of the deceased khatedar upon his

अति० जिला कलक्टर, पाली

death along with sons in case of non-testamentary succession." जो हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत निर्वसीयती मरने वाले हिन्दु पुरूष की सम्पति पर उसकी जीवित पत्नी, पुत्र एवं पुत्रियां प्रथम वर्ग के दायद होते है तथा किसी हिन्दु पुरूष का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त उसके समस्त वारिसान का नाम दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा किया जाना प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 13 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत ग्राम वरकाणा के नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 16.12.1988 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रानी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक भीमसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी वरकाणा के विधिक वारिशान की जांच कर, सभी पक्षकारान को सुनवाई का समूचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 16.12.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली